भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 561
गुरुवार, 6 फ़रवरी, 2025/17 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

परान्दुर ग्रीनफील्ड विमानपत्तन पर सुरक्षा संबंधी चिंताएं

561. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में प्रस्तावित परान्दुर ग्रीनफील्ड विमानपत्तन के स्थान पर सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बारे में विमानन विशेषज्ञों और स्थानीय हितधारकों से फीडबैक प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से जल निकायों की मौजूदगी और उक्त जल निकायों को उड़ान संबंधी प्रचालन के कारण संभावित जोखिमों सहित सुरक्षा के संबंध में साझा की गई चिंताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) सुरक्षा मूल्यांकन को अंतिम रूप देने और परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): भारत सरकार ने तमिलनाडु के परान्दुर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए तमिलनाडु सरकार के उद्यम नामतः तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (टीआईडीसीओ) को अगस्त, 2024 में साइट क्लीयरेंस अनुमोदन प्रदान किया है।

साइट क्लियरेंस प्रदान करने से पूर्व, परियोजना प्रस्तावक से हितधारकों, अर्थात नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), रक्षा मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से टिप्पणियों/ अवलोकनों के अनुपालन की मांग की गई थी। डीजीसीए के अवलोकनों के अनुसार, एप्रोच सर्फ़ेस, ट्रांजिशनल इनर हॉरिजॉन्टल सर्फ़ेस (आईएचएस) और कोनिकल सर्फ़ेस में बाधाओं को या तो निर्माण शुरू करने से पहले या एयरोड्रम लाइसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से पहले हटाया जाना अपेक्षित है, जैसा कि डीजीसीए की नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) के अनुसार लागू है। इसके अतिरिक्त, जल निकायों के संबंध में, डीजीसीए ने उल्लेख किया था कि वन्यजीवों/ पक्षियों के आवास के लिए उचित शमन योजनाएं होनी चाहिए तथा एयरोड्रोम के भीतर और आसपास जलभराव/ बाढ़ से बचने के लिए भी उचित योजना होनी चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने उल्लेख किया है कि डीजीसीए के सीएआर के संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करना, एयरोड्रम की लाइसेंसिंग प्रक्रिया से पहले की पूर्वापेक्षा है। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु सरकार ने प्रस्तावित एयरोड्रम के आसपास समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने

के लिए जल निकायों और चैनलों से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

प्रस्तुत अनुपालना के आधार पर, इस मामले पर संचालन समिति में विचार-विमर्श किया गया, जिसमें डीजीसीए, सुरक्षा विनियामक सहित कई हितधारक मंत्रालयों/संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। तत्पश्चात संचालन समिति की सिफारिशों पर साइट क्लीयरेंस प्रदान की गई।

*****